फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 89 / 22

क्रमांक कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। राजपेशकार उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया की वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया। उक्त वाद पत्र में वादी द्वारा प्रतिवादी के रूप में श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर को ही प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अनुतोष सहखातेदारों से नहीं चाह कर मात्र भूमिधारी से चाहा गया हैं जिससे प्रकरण में बंटवाडा किया जाना संभव नहीं हैं। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:39 IST
Reason: SelfAttested